प्रेस विज्ञप्ति एफईओ (एसआरएस मामला)

18/1/2026

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम ने दिनांक 15.01.2026 के आदेश द्वारा **जितेंद्र कुमार गर्ग और सुनील जिंदल** (एसआरएस समूह की विभिन्न कंपनियों में प्रवर्तक और निदेशक) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के तहत **भगोड़ा आर्थिक अपराधी** घोषित किया है। यह घोषणा ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर को एफईओए अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन के आधार पर की गई है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रवीण कुमार कपूर को ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 01.11.2025 को भारत में निर्वासित कर दिया गया है।

ईडी ने हरियाणा पुलिस, ईओडब्ल्यू दिल्ली और सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा अनिल जिंदल, जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर और एसआरएस ग्रुप, फरीदाबाद स्थित रियल एस्टेट कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई लगभग 81 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन्होंने निवेश के नाम पर जनता/बैंकों से लगभग 2200 करोड़ रुपये की भारी रकम एकत्र की थी। उन्होंने ऐसे निवेशों पर भारी रिटर्न का वादा किया और अंत में धोखाधड़ी करके निवेशकों को धोखा दिया।

तत्पश्चात, ईडी ने धन शोधन के अपराध में शामिल अभियुक्त व्यक्तियों और कंपनियों की जांच की और उनकी पहचान की। इसके अलावा, जांच में अन्य लोगों के साथ, जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर को धन शोधन के अपराध में शामिल पाया गया और तदनुसार वर्ष 2022 में इस मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई। इसके अलावा, ईडी द्वारा की गई जांच में अपराध से प्राप्त आय वाली संपत्तियों/परिसंपत्तियों की पहचान की गई है और इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की मात्रा 2215.98 करोड़ रुपये है।

एफईओए के तहत ईडी की जांच से पता चला है कि तीनों आरोपी भारत छोड़कर चले गए हैं और यह पर्याप्त रूप से पता चला है कि जितेंद्र कुमार गर्ग और सुनील जिंदल विदेशी न्यायालयों में रह रहे हैं। आरोपी व्यक्ति भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बच रहे हैं ताकि उन्हें आपराधिक अभियोजन का सामना न करना पड़े। सभी भगोड़ों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट, लुक आउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें विशेष न्यायालय द्वारा पहले 06.06.2025 को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। जितेंद्र कुमार गर्ग और सुनील जिंदल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ, अब एफईओए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आगे की जाँच जारी है।